उत्तर प्रदेश सरकारी बिजली-व्यवसाय-संस्था (देयों की वसूली) अधिनियम, 1958

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16, 1958)

THE UTTAR PRADESH GOVERNMENT ELECTRICAL UNDERTAKINGS (DUES RECOVERY) ACT, 1958

(U.P. Act No. XVI of 1958)

उत्तर प्रदेश सरकारी बिजली–व्यवसाय–संस्था (देयों की वसूली) अधिनियम, 1958[1]

[उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 16, 1958]

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 27, 1963

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 36, 1974

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 12, 1983

द्वारा संशोधित

[उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 10 फरवरी, 1958 तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 25 मार्च, 1958 ई0 की बैठक में स्वीकृत किया।

भारत का संविधान के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति से दिनांक 8 मई, 1958 ई0 को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 12 मई, 1958 ई0 को प्रकाशित हुआ ।]

सरकारी व्यवसाय–संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली बिजली–शक्ति के देयों की शीघ्र वसूली की व्यवस्था करने का

अधिनियम

यह इष्टकर है कि सरकारी व्यवसाय–संस्थाओं द्वारा दी गयी बिजली के देयों की शीघ्र वसूली के लिए व्यवस्था की जाय ;

अतएव भारतीय गणतंत्र के नवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है ;

संक्षिप्त–शीर्षनाम –प्रसार तथा प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सरकारी बिजली–व्यवसाय–संस्था (देयों की वसूली) अधिनियम, 1958 कहलायेगा ।

(2) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा ।

(3) यह तुरन्त प्रचलित होगा ।

परिभाषाएं

2–विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में ––

2[(क) "उपभोक्ता" का अर्थ है कोई व्यक्ति जिसे सरकारी बिजली व्यवसाय संस्था द्वारा बिजली शक्ति संभरित की जाय, चाहे उसके स्वयं उपभोग के लिये हो, चाहे उसके बिजली शक्ति के संभरण के व्यापार के सम्बन्ध में हो, चाहे अन्यथा हो ;]

(ख) "नियत प्राधिकारी" के अन्तर्गत वह प्रत्येक व्यक्ति आता है जिसे राज्य सरकार ने सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस अधिनियम के अधीन नियत प्राधिकारी के कार्य करने के निमित्त ऐसे क्षेत्र के लिये जो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किया जाये, प्राधिकृत किया हो।

(ग) "सरकारी बिजली–व्यवसाय–संस्था" के अन्तर्गत कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई ऐडमिनिस्ट्रेशन तथा राज्य सरकार अथवा बोर्ड द्वारा संचालित या नियंत्रित ऐसी अन्य

---

1. उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिये असाधारण गजट, दिनांक 30 जनवरी, 1958 देखिये।

2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 36, 1974 की धारा 9 (1) द्वारा प्रतिस्थापित तथा सदैव से रखा गया समझा जाय ।

बिजली–व्यवसाय संस्थाएं आती है, जो एतदर्थ विज्ञापित की जायें ;

(घ) "राज्य सरकार" का अर्थ है उत्तर प्रदेश की सरकार ; तथा

(ड़) "बोर्ड" का अर्थ है समय–समय पर यथा संशोधित इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, 1948 की धारा 5 के अधीन संघटित "स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड" ।

न दिए गयें देयों की मांग की नोटिस

3–जब किसी उपभोक्ता द्वारा किसी सरकारी बिजली व्यवसाय संस्था को कोई धनराशि [1][जिसके अन्तर्गत भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 की अनुसूची 6 के अधीन या विद्युत [2](प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 47–क के अधीन] देय प्रतिभूति की धनराशि भी है, देय हो तो नियत प्राधिकारी वह धनराशि बकाया होने के दिनांक से 30 दिन के बाद किसी समय देनदार व्यक्ति के नाम मांग का एक नोटिस तामील कर अथवा करा सकता है जिसमें उस व्यक्ति का नाम, उसके द्वारा देय धनराशि तथा वह व्यवसाय–संस्था जिसके सम्बन्ध में धनराशि बकाया हो, उल्लिखित होंगे ।

स्पष्टीकरण–(1) नोटिस का रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजा जाना सम्बद्ध व्यक्ति पर पर्याप्त तामील माना जायगा ।

स्पष्टीकरण–(2) बिल में देय धनराशि के भुगतान के लिये उल्लिखित दिनांक की समाप्ति पर सरकारी बिजली–व्यवसाय–संस्था को देय धनराशि बकाया हुई समझी जायगी।

देयों के देने के दायित्व सम्बन्धी आपत्ति के वाद

4–(1) जब धारा 3 के अधीन किसी उपभोक्ता पर अथवा उसके प्राधिकृत अभिकर्ता पर कोई मांग की नोटिस तामील हो जाय और यदि वह बकाया धनराशि अथवा उसके किसी अंश के दायित्व से इन्कार करता हो तो वह नियत प्राधिकारी के पास लिखित विरोध सहित वह धनराशि जमा करने के पश्चात् इस प्रकार जमा की हुई बकाया धनराशि अथवा उसके किसी अंश की वापसी के लिए वाद प्रस्तुत कर सकता है ।

(2) उपधारा (1) में अभिदिष्ट वाद नियत प्राधिकारी के पास धनराशि जमा करने के दिनांक से छः महीने के भीतर साधिक्षेत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है, किन्तु वाद के परिणाम के अधीन रहते हुए, मांग की नोटिस उसमें उल्लिखित देयों के सम्बन्ध में निश्चायक प्रमाण होगी ।

देयों की वसूली अन्य विधि तथा अनुबंध की प्रवृत्ति

5–बकाया धनराशियां, जिनके निमित्त मांग की नोटिस तामील हो गया हो, यदि तामील के दिनांक से तीस दिन के भीतर अथवा ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर जिसकी नियत प्राधिकारी अनुज्ञा दे न जमा की जाय, तो वे वसूली के उस व्यय सहित जो नियत किया जाय, मालगुजारी के बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी, भले ही किसी विधि या करण या अनुबंध में कोई विरोधी बात हो ।

अवधि काल का बढ़ाया जाना

[3] **[5–क**– [4][परिसीमा अधिनियम, 1963] या तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात कें होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन किन्हीं देयों की वसूली के लिए बोर्ड द्वारा या उसकी ओर से किसी वाद के सम्बन्ध में कालावधि उस दिनांक से छः वर्ष

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 36, 1974 की धारा 9 (2) द्वारा रखा गया और दिनांक 9 अक्टूबर, 1972 से रखे गये समझे जायें ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 12, 1983 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या xxvii, 1963 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया एवं 1 अप्रैल, 1959 से प्रकाशित हुई समझी जाय।
4. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 12, 1983 की धारा 10 द्वारा प्रतिस्थापित।

की होगी जब से किसी निजी व्यक्ति द्वारा उसी प्रकार के वाद के लिए इंडियन लिमिटेशन ऐक्ट, 1908 के अधीन कालावधि प्रारम्भ हो ; ऐक्ट संख्या 9, 1908

प्रतिबन्ध यह है कि बोर्ड के प्रथम बार संगठित होने के दिनांक के पूर्व प्रोद्भूत होने वाले किन्हीं देयों की वसूली के लिए, एलेक्ट्रीसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, 1948 की धारा 60 की उपधारा (1) के आधार पर बोर्ड द्वारा निवेशित किसी वाद के लिए कालावधि वही होगी जिसकी व्यवस्था इंडियन लिमिटेशन ऐक्ट, 1908 की प्रथम अनुसूची के अनुच्छेद 149 में की गयी है किन्तु वह बोर्ड के प्रथम बार संगठित होने के दिनांक से छः वर्ष से अधिक की न होगी ।][1] ऐक्ट संख्या 54, 1948 ऐक्ट संख्या 9, 1908

6–(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा नियम बना सकती है । नियम बनाने का अधिकार

(2) विशेष रूप से तथा पूर्ववर्ती उपबंधों की व्याप्ति को बाधित न करते हुए, इस नियमों में निम्नलिखित मे से समस्त अथवा किसी विषय की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात् ––

(क) नोटिस का रूप तथा रीति जिससे वह तामील किया जाय ;

(ख) मांग के नोटिस के व्यय तथा वसूली के व्यय ;

(ग) अन्य कोई विषय जो नियत करना हो अथवा किया जाय ।

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 27, 1963 की धारा 2 द्वारा बढ़ायी गयी तथा 1 अप्रैल, 1959 से प्रकाशित हुई समझी जाय ।